न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 40/2026 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2026/83
दायर दिनांक :– 06.03.2026 निर्णय दिनांक :– 01.05.2026

01. विजयपालसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी

वादी

बनाम

1. इन्द्रकंवर पत्नी नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
2. श्यामसुन्दरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
3. मनोजसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
4. पुष्पाकंवर पत्नी श्यामसुन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
5. सरोजकंवर पत्नी मनोजसिंह जाति राजपूत निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री नारायणसिंह भाटी अधिवक्ता वादी
2 श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 ता 5

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है कि मेघसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी जाम्बा के नाम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 66 रकबा 383.11 बीघा सरहद मौजा जाम्बा तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पैतृक सम्पति है जो मेघसिंह को उनके पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई मेघसिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि में से 43.11 बीघा भूमि हस्तान्तरण कर दी थी उनके नाम उक्त खसरा नम्बर 66 में 340 बीघा बीघा रही जिसमें से 100 बीघा उन्होंने अपनी पुत्री प्रार्थी की माता अप्रार्थी संख्या 1 इन्द्रकंवर को दिनांक 10.12.1975 को बख्सीश कर दी जो नामान्तरकरण संख्या 349 मौजा जाम्बा के जरिये प्रार्थी की माता अप्रार्थी संख्या 1 इन्द्रकंवर के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। इन्द्रकंवर ने उक्त 100 बीघा भूमि में से 43–00 बीघा भूमि बचुबाई को दिनांक 25.06.1984 को बेचान कर दी जो नामान्तरकरण संख्या 481 मौजा जाम्बा के जरिये बचुबाई के नाम अलग खसरा नम्बर 66/1 रकबा 43–00 बीघा कायम होकर दर्ज हुई। मेघसिंह के नाम खसरा नं. 66 की 240 बीघा भूमि शेष रही थी जिसमें से उन्होने 140.01 बीघा भूमि अपने जीवनकाल में बेचान कर दी मेघसिंह के नाम खसरा नं. 66 में 139.19 बीघा भूमि शेष रही जो मेघसिंह फौत होने पर उनके फौतेदगी नामान्तरकरण सं. 472 मौजा

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

जाम्बा के जरिये उनके उत्तराधिकारी व वारिसान उनके बेटों महेन्द्रपालसिंह व विरेन्द्रपालसिंह तथा पुत्री प्रार्थी की माता इन्द्रकंवर तीनों के नाम दर्ज हुई जो आगे चलकर खसरा नं. 66/5 रकबा 93.06 बीघा के रूप में प्रार्थी की माता अप्रार्थी सं. 1 इन्द्रकंवर के नाम दर्ज हुई इन्द्रकंवर ने अपने नाम दर्ज उक्त 93.06 बीघा भूमि में से 1/2 हिस्सा (अप्रार्थी सं. 1 ने) बिदामी को बेचान कर दी और शेष रही 1/2 हिस्सा की पूरी भूमि आगे अपने पुत्रों अप्रार्थी सं. 2 व 3 की पत्नियां अप्रार्थी सं. 4 व 5 को दिनांक 5–3–2018 को बख्सीस कर दी जो नामान्तरकरण सं. 998 मौजा जाम्बा के जरिये अप्रार्थी सं. 4 व 5 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई व महेन्द्रपालसिंह व विरेन्द्रपालसिंह ने भी अपने हिस्से की भूमि आगे हस्तान्तरण कर दी जिसका कोई विवाद नहीं है। बचुबाई, अनोपाराम, सुवटी, मोहनराम, आसकरण, जगदीशराम, बीदामी के हिस्से का तो कोई विवाद नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज हिस्सा क्रमशः 380/2557, 272/7671, 100/2557, 311/5114, 311/5114 कुल हिस्सा 815/2557 अप्रार्थी संख्या 1 को उनके पिता मेघसिंह से विरासत में प्राप्त हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 अप्रार्थी संख्या 1 के जायन्दा संतानपुत्र है इसलिए उक्त 815/2557 हिस्सा में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 चारों का कानूनन बराबर–बराबर हिस्सा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 सभी आपस में सगे मां बेटे सगे भाई व भ्राता वधु है उन्होने किसी ने भी उपरोक्त हिस्से अनुसार चले आ रहे शांतिपूर्व कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं की है। प्रार्थी के उपरोक्त भूमि में चले आ रहे कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि ग्राम जाम्बा पटवार हल्का जाम्बा के खसरा नम्बर 66 रकबा 62.0868 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व अन्य खातेदारान् के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा मौके पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 अपने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी रहवासी ढाणियां, पानी के टांके इत्यादि बना रखे है तथा अपनी रहवासीय ढाणी में अप्रार्थीगण अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की एकांकी/पूर्ण स्वामित्व की भूमि है जिसमें किसी अन्य का कानूनन कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज अपनी खातेदारी भूमि को कानूनन हस्तान्तरण करने से नहीं रोका जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने नियमानुसार ही उक्त भूमि के हस्तान्तरण अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 को किये है और उक्त हस्तान्तरण अनुसार ही उक्त भूमि नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज है। प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी का प्रश्न ही नहीं बनता है। उक्त भूमि को लेकर प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति नहीं हो रही है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्व एक दावा खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अवश्य पेश किया है लेकिन उक्त वाद के साथ पेश दस्तावेज से प्रार्थी का वाद साबित नहीं होता है। प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्ट्या ही काबिल खारिज है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की कोई

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

गुजाईश नहीं है। प्रार्थी ने उक्त वाद सरासर गलत एवं मनगढत तथ्य देकर के प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को मय खर्चा हर्जा के खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई। बहस अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नामान्तरकरण एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लिखित बहस का अवलोकन व अध्ययन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

नामान्तरकरण संख्या 349 मौजा जाम्बा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार मेघसिंह पुत्र गुलाबसिंह के नाम दर्ज थी। वादग्रस्त भूमि अलग–अलग बेचान के द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व अन्य खातेदारान् के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। वादी के वाद में जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में वादी का हक हिस्सा है या नहीं। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, नामान्तरकरण और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार मेघसिंह पुत्र गुलाबसिंह के नाम दर्ज थी। वादग्रस्त भूमि अलग–अलग बेचान के द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व अन्य खातेदारान् के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 रेकर्डेड खातेदार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को आराजी के उपभोग–उपयोग, कृषि इत्यादि सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित हो सकती है। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Satya

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)